न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी:—श्रीमति टीना डाबी, आई.ए.एस.
मुकदमा नम्बर:—135/2018 प्रार्थना पत्र
श्रीमति मोहनी पत्नि बंशीलाल खटीक, उम्र बालिग निवासी शाहपुरा हाल सांगानेरी गेट, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

-----प्रार्थीया

बनाम

1—श्रीमति लीला पत्नि बालूलाल ब्राहम्ण, उम्र बालिग निवासी कांदा तहसील व जिला भीलवाड़ा
2—श्री भैरू पिता मगना भील, उम्र बालिग निवासी कांदा तहसील व जिला भीलवाड़ा
3—श्रीमति नानी पत्नि राजमल ब्राहम्ण, उम्र बालिग निवासी कांदा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
4—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज0)

-----विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

:: नि र्ण य ::

दिनांक:—6.5.2019

वकील प्रार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम कांदा पटवार हल्का कांदा तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 700/7 रकबा 05 बीघा भूमि प्रार्थीया के नाम दर्ज रेकार्ड है। विपक्षीगण विवादित आराजियात के पड़ौसी हैं। प्रार्थीया के खाते व कब्जे कास्त की आराजियात के सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। इस कारण प्रार्थीया अपने खाते एवं कब्जे कास्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढी किये जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

वकील प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दिनांक 29.5.2018 को पंजीबद्व किया जाकर जरिये सम्मन विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 से 4 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुये। जिसे शामिल पत्रावली किये गये । विपक्षीगण संख्या 1 से 4 को कितनी ही मर्तबा विधिवत् आवाजे दिलाई जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 15.4.2019 को एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश पारित किया गया।

वकील प्रार्थीया ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील प्रार्थीया की एक तरफा बहस सुनी गयी । बहस के दौरान वकील प्रार्थीया ने कथन किया कि प्रार्थीया को अपने खाते व कब्जे कास्त की आराजियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल कास्त करते समय, फसल काटते समय सीमा बाबत विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता हैं। इस कारण प्रार्थीया अपने खाते एवं कब्जे कास्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया अपने प्रार्थना पत्र को सिद्व कराने में सफल रहने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ, अतः

:: आ दे श ::

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र धारा 111—128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम कांदा पटवार हल्का कांदा तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 700/7 रकबा 05 बीघा भूमि की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी किये जाने का

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

आदेश दिया जाता हैं। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये भू–अभिलेख निरीक्षक, दांथल को 200/–रूपये (दौ सौ रूपये) कम्श्निर फीस पर कम्श्निर नियुक्त किया जाता हैं। कम्श्निर फीस प्रार्थीया मौके पर जमा करावें। कम्श्निर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी/उपस्थिति में पत्थरगढ़ी की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये तहसीलदार, भीलवाड़ा को पालना हेतु लिखा जावें।

(टीना डाबी)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 6.5.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner